2012:CGHC:4070

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक: 5867/2011

याचिकाकर्ता : कुंती बाई

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226, भारत का संविधान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से: श्री अविनाश कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।
- उत्तरवादी क्रमांक 4, 6 से 11, 16 से 18 एवं 20 व 21 की ओर से: श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता।
- उत्तरवादी क्रमांक 5, 12 से 15 एवं 19 की ओर से: श्री क्षितिज शर्मा, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक: 13.04.2012)

1. याचिकाकर्ता, जो एक सरपंच है और जिसके विरुद्ध ग्राम पंचायत छांटाझा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित

किया गया है, ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत कर कलेक्टर, कबीरधाम द्वारा दिनांक 18.08.2011 को पारित आदेश (अनुलग्नक-पी/1) की वैधानिकता, औचित्य और शुद्धता को चुनौती दी है। उक्त आदेश के माध्यम से कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 21(4) के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है।

2. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत की सरपंच है और 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने की सूचना पर, विहित प्राधिकारी ने ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों (पंचों) को नोटिस जारी किया तथा पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए सम्मिलन आहूत किया, और उक्त अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत की उस सम्मिलन में दिनांक 03.08.2011 को पारित हो गया। अधिनियम की धारा 21(4) के तहत, यथास्थिति, एक सरपंच या उप-सरपंच, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो, प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर कलेक्टर को विवाद निर्दिष्ट करेगा। उक्त विवाद संबंधी आवेदन दिनांक 16.08.2011 को प्रस्तुत किया गया था अर्थात 7 दिनों के बाद है, और विलंब क्षमा हेतु आवेदन दिनांक 18.08.2011 को प्रस्तुत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 21(4) के तहत विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आवेदन को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर , और वह भी विलंब क्षमा के आवेदन के गुण-दोषों पर विचार किए बिना या उस पर कार्यवाही किए बिना खारिज करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर ने संभवतः इस आधार पर विलंब क्षमा के आवेदन पर विचार नहीं किया है कि अधिनियम की धारा 21(4) के तहत कलेक्टर को विलंब क्षमा करने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 6 के उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उनका तर्क है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु वापस प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए।

4. श्री अविनाश के. मिश्रा, विद्वान राज्य अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तरवादी क्रमांक 4, 6, 11, 16 से 18 एवं 20 व 21 की ओर से श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता और उत्तरवादी क्रमांक 5, 12, 13, 14, 15 एवं 19 की ओर से श्री क्षितिज शर्मा, अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 21 में विलंब क्षमा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान अंतर्विष्ट नहीं है, और इसलिए धारा 21(1) के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज किया गया है।

5. इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कलेक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 21(4) के तहत विवाद को निर्दिष्ट करने वाले किसी आवेदन को, परिसीमा की निर्धारित अवधि अर्थात 7 दिनों के बाद, उक्त आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए, ग्रहण किया जा सकता है या नहीं।

6. परिसीमा से संबंधित विधि, जैसा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत संहिताबद्ध की गई है, उसकी धारा 3 के तहत यह प्रावधान करती है कि धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में निहित प्रावधानों के अधीन, निर्धारित अवधि के बाद संस्थित किया गया प्रत्येक वाद, प्रस्तुत की गई अपील और दिया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, भले ही परिसीमा को बचाव के रूप में प्रस्तुत न किया गया हो। अधिनियम की धारा 5 कुछ मामलों में निर्धारित अवधि के विस्तार का प्रावधान करती है। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 से 24 में परिसीमा की अवधि की गणना के संबंध में अन्य प्रावधान निहित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 29 वर्तमान विवाद के उद्देश्य के लिए सुसंगत है और तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत की गई है:

> **"29. व्यावृत्तियां -** (1) इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी।
>
> (2) जहां कि कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है वहां धारा 3 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा

विहित परिसीमा काल हो; तथा किसी वाद, अपील या आवेदन के निमित्त किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा विहित परिसीमा काल का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से धारा 24 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) उपबन्ध केवल वहीं तक और उसी विस्तार तक लागू होंगे जहां तक और जिस विस्तार तक वे उस विशेष या स्थानीय विधि द्वारा अभिव्यक्त तौर पर अपवर्जित न हों ।

(3) विवाह और विवाह-विच्छेद विषयक किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसी किसी विधि के अधीन के किसी वाद या अन्य कार्यवाही को लागू नहीं होगी।

(4) धाराएं 25 और 26 तथा धारा 2 में की "सुखाचार" की परिभाषा, उन राज्यक्षेत्रों में उद्भूत मामलों को लागू नहीं होगी जिन पर भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) का तत्समय विस्तार हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऊपर उद्धृत धारा 29(2) यह प्रावधान करती है कि जहाँ कोई विशेष या स्थानीय विधि, परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से भिन्न परिसीमा अवधि निर्धारित करती है, वहाँ विशेष या स्थानीय विधि में निर्धारित परिसीमा अवधि लागू होगी और धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में निहित प्रावधान केवल तभी और उसी सीमा तक लागू होंगे, जब तक कि उन्हें ऐसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित न किया गया हो।

7. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है जो परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, या अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी मामले के लिए परिसीमा अधिनियम में विहित परिसीमा की प्रयोज्यता को अपवर्जित करता हो। वास्तव में, छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम के तहत, अपील के संबंध में नियम 4 के उप-नियम (2) और पुनरीक्षण आवेदन के संबंध में नियम 6 के उप-नियम (2) के अंतर्गत विलंब क्षमा के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है, और इस प्रकार अपील और पुनरीक्षण प्राधिकारी को, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने की शक्तियाँ

प्रदान की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः अपील और पुनरीक्षण नियमों के तहत विलंब क्षमा के लिए इस अलग प्रावधान के किए जाने के कारण ही, कलेक्टर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा के आवेदन के गुण-दोषों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया, क्योंकि अधिनियम की धारा 21 के तहत उस प्रकृति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जैसा कि अपील और पुनरीक्षण नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 6 के उप-नियम (2) के अंतर्गत किया गया है। तथापि, जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, अधिनियम 1993 कहीं भी परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को अपवर्जित नहीं करता है। अतः, पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 किस सीमा तक और किन विशेष परिस्थितियों में लागू होंगी, इस पर इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक है। ***'मंगू राम बनाम दिल्ली नगर पालिका', ए.आई.आर. 1976 एस.सी.105*** के मामले में निर्णय के कण्डिका 7 में यह अवधारित किया गया है, जो नीचे उद्धृत है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "7. जहाँ तक धारा 29 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधान का संबंध है, परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। जबकि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 29, उप-धारा (2), खंड (ख) में यह प्रावधान था कि किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा की किसी भी अवधि को तय करने के प्रयोजन के लिए, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 4, 9 से 18 और 22 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे, और इसलिए, धारा 5 की प्रयोज्यता स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में अपवर्जित थी। इसके विपरीत, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 की उप-धारा (2) स्पष्ट शब्दों में यह अधिनियमित करती है कि किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि तय करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान, जिनमें धारा 5 भी शामिल है, तभी तक और उसी सीमा तक लागू होंगे जब तक कि वे ऐसी विशेष या

स्थानीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अपवर्जित न किए गए हों।" "भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 29, उप-धारा (2), खंड (ख) ने विशिष्ट रूप से धारा 5 की प्रयोज्यता को अपवर्जित कर दिया था, जबकि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 की उप-धारा (2) स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में धारा 5 की प्रयोज्यता का प्रावधान करती है। अतः, 'कौशल्या रानी' के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत, परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा शासित मामलों में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वह निर्णय इस परिकल्पना पर आधारित था कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 29(2)(ख) के कारण धारा 5 की प्रयोज्यता अपवर्जित थी। चूँकि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत धारा 29 की उप-धारा (2) द्वारा धारा 5 को विशिष्ट रूप से लागू किया गया है, इसलिए इसका लाभ किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा की अवधि को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए तब लिया जा सकता है, यदि आवेदक यह दर्शा सके कि उसके पास परिसीमा की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने का 'पर्याप्त कारण' था। केवल तभी जब विशेष या स्थानीय विधि स्पष्ट रूप से धारा 5 की प्रयोज्यता को अपवर्जित करती है, यह विस्थापित मानी जाएगी।" "जैसा कि इस न्यायालय द्वारा '***कौशल्या रानी' (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 260 = 1964(1) क्रि.एल.जे. 152)*** के मामले में इंगित किया गया है, धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की समय-सीमा परिसीमा की एक 'विशेष विधि' है और हमें इस विशेष विधि में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो स्पष्ट रूप से धारा 5 की प्रयोज्यता को अपवर्जित करता हो। यह सत्य है कि धारा 417 की उप-धारा (4) की भाषा आज्ञापक और अनिवार्य है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान करने के किसी भी आवेदन पर, दोषमुक्ति के उस आदेश की तिथि से साठ दिन बीत जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। किंतु, परिसीमा की अवधि निर्धारित करने वाले प्रत्येक प्रावधान की भाषा ऐसी ही होती है। चूँकि किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विशेष या स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा की अवधि के बाद आवेदन स्वीकार करने को वर्जित करती है, इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि धारा 5 की सहायता ली जाए ताकि ऐसी वर्जन के बावजूद आवेदन पर विचार किया जा सके।" "परिसीमा की अवधि का मात्र प्रावधान, चाहे वह कितनी भी निर्णयात्मक या अनिवार्य भाषा में क्यों न हो, धारा 5 की प्रयोज्यता को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि जिस मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति का आवेदन परिसीमा अधिनियम, 1963 के लागू होने के बाद दायर किया गया है, वहाँ आवेदक को धारा 5 का लाभ उपलब्ध होगा। यदि वह यह दर्शा सके कि उसके पास धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने का 'पर्याप्त कारण' था, तो आवेदन वर्जित नहीं होगा और साठ दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद, उच्च न्यायालय के पास उस पर विचार करने की शक्ति होगी।" "अतः, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष देने में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य नहीं किया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की समय-सीमा से वर्जित नहीं था, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास ऐसी समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने का 'पर्याप्त कारण' था। इन परिस्थितियों में विशेष अनुमति प्रदान करने वाला आदेश उच्च न्यायालय की शक्ति के बाहर का आदेश नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ***'मोहम्मद सागिर बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एवं अन्य', 2004 (2) म.प्र.एल.जे. 359*** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि म.प्र.औ.सं. अधिनियम की धारा 61 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि म.प्र.औ.सं. अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में निहित प्रावधानों का कोई 'स्पष्ट अपवर्जन' नहीं है।

8. रिट याचिका क्रमांक 2114/1994 ***('रामभरोसे उर्वासा बनाम भारत रिफ्रैक्टरजी लिमिटेड एवं अन्य')*** के मामले में, इस न्यायालय ने भी छ.ग.औ.सं. अधिनियम के तहत उक्त पहलू पर विचार किया है और '***मोहम्मद सागिर बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स' (उपरोक्त)*** के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अनुसरण किया है।

9. उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 21(4) के तहत आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होगी, और विद्वान कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा के आवेदन के गुण-दोषों पर विचार न करना और धारा 21(4) के तहत आवेदन को परिसीमा के आधार पर खारिज करना न्यायोचित नहीं था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि चूंकि आवेदन प्रस्तुत करने में केवल 6 दिनों का विलंब हुआ था, इसलिए उसे क्षमा किया जाना चाहिए और कलेक्टर को मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। कलेक्टर के समक्ष धारा 5 के तहत प्रस्तुत विलंब क्षमा के आवेदन का अवलोकन करने के पश्चात, यह प्रतीत होता है कि विलंब मुख्य रूप से 13, 14 और 15 अगस्त की छुट्टियों के कारण हुआ था और आवेदन अगले दिन अर्थात 16 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था, अतः मामले के तथ्यों को देखते हुए, आवेदन प्रस्तुत करने में हुए छह दिनों के विलंब को कलेक्टर, कवर्धा द्वारा क्षमा किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त के आलोक में, यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, कवर्धा सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 21(4) के तहत विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेंगे। कलेक्टर, कवर्धा सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करेंगे। तथापि, पक्षकार 3 मई, 2012 को भी कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

12. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही /-

(प्रशांत कुमार मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur